अंतरण के लिए क्षतिपूर्ति बाण्ड

आवेदक द्वारा 10 रुपए के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर निष्पादित किया जाए और नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए।

यह क्षतिपूर्ति बाण्ड श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/विधवा/पुत्री _____ निवासी _____द्वारा _____ की तारीख _____ को निष्पादित किया गया है।

यहां इसमें इसके बाद निष्पादी कहा गया है जिसमें, भारत के राष्ट्रपति, जिसके इसके बाद पट्टाधारी कहा गया है, जिसमें उसके वारिस, अनुवर्ती, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी समनुदेशित शामिल होंगे, के पक्ष में उसके परिवर्ती, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी समनुदेशित शामिल होंगे।

जबकि निष्पादी ब्लॉक नं. _____ पॉकेट नं. _____ अथवा _____ में भूखण्ड सं. _____का वास्तविक अधिवासी पट्टाधारी/उप-पट्टाधारी/आवंटी है।

जबकि निष्पादी श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/विधवा _____ का/की विधिवत बनाया गया/बनाई गई अटार्नी है और पट्टाधारी/उप-पट्टाधारी/आवंटी की ओर से बिक्री की मांग के लिए सक्षम है।

और जबकि निष्पादी ने उल्लिखित लीजहोल्डर अधिकारों के अंतरण के लिए पट्टाधारी के पास आवेदन किया है।

और जबकि पट्टाधारी, आस्था और इसके लिए अभ्यावेदन करने पर, इसके अध्यधीन उपरोक्त संपत्ति के संबंध में लीजहोल्ड अधिकारों को फ्रीहोल्ड अधिकारों में अंतरित करने के लिए सहमत है कि निष्पादी यहां इसमें इसके बाद यथा:निहित क्षतिपूर्ति देगा और पट्टेधारक को हमेशा ऊपर संदर्भित संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा पट्टेधारक के खिलाफ किए गए किसी दावे से हानिरहित रखेगा।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि पट्टाधारी के उपरोक्त संपत्ति के संबंध में लीजहोल्ड अधिकारों को फ्रीहोल्ड अधिकारों में अंतरित करने के लिए सहमत होने पर विचार करते हुए, निष्पादी एतद् द्वारा पट्टाधारी से प्रसंविदा करता/करती है कि वह कथित पट्टाधारी को हमेशा किए गए सभी दावों और मांगों, कथित संपत्ति अथवा इसके किसी भाग के संबंध में किसी भी आधार पर उसके खिलाफ सभी प्रकार की कार्रवाईयों एवं प्रक्रियाओं की क्षतिपूर्ति करेगा और उनसे रक्षित रखेगा।

जिनके समक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/विधवा _____ ने तारीख_____ को इस बाण्ड पर हस्ताक्षर किए और इसे प्रदान किया।